



संख्या : — /जी०एस०(शिक्षा) / A15-19 / 2019

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 30 मई, 2022

महोदय,

कृपया आपके पत्र संख्या-3534 दिनांक 05 अगस्त, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूरजमल अग्रवाल कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल एण्ड हैल्थ साईंसेज किच्चा, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड को बी०एससी० आर्टोमेट्री, बी०एम०आर०आई०टी० व बी०एससी० एम०एल०टी० पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2019-20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलपति की संस्तुति एवं कुलसचिव की आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम-2014 की धारा-36(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति द्वारा छात्रहित में अनुमति/स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :-

महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुति के अनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4
सूरजमल अग्रवाल कॉलेज, ऑफ पैरामेडिकल एण्ड हैल्थ साईंसेज किच्चा, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।	बी०एससी० (आर्टोमेट्री)	30	2019-20
	बी०एम०आर०आई०टी०	25	
	बी०एससी० एम०एल०टी०	30	

(1) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, यू०जी०सी० विनियमों व नियामक संस्था के मानक पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

(2) प्राभूति राशि के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्णित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा।

(3) विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, कार्यपरिषद् की आवश्यकता व विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व यू०जी०सी० विनियमों/राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी।

(4) शैक्षिक सत्र 2019-20 व्यतीत हो चुका है। इसके दृष्टिगत छात्रहित में सत्र 2019-20 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है किन्तु इस स्वीकृति को नजीर न मानते हुए अग्रेतर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव मा० कुलाधिपति की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संस्थान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं/मानक U.G.C./नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण हैं अन्वथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 818 (1)/जी०एस० (शिक्षा) / A15-19 / 2019 तदुदिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, सूरजमल अग्रवाल कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल एण्ड हैल्थ साईंसेज किच्चा, उधमसिंहनगर।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(स्वाति एस० भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।